

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)आपराधिक प्रक0क्र0-651 / 2007संस्थित दिनांक-24.10.07

आर0पी0 सोनकर, जे0एम0एफ0सी0

गोहद जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

उदयभानसिंह पुत्र नबावसिंह उम्र 55 साल

व्यवसाय खेती, निवासी ग्राम देहगांव

थाना मौ जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 14.11.17 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 191 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 16.07.2004 तथा दिनांक 08.10.07 को श्री आर0पी0 सोनकर जेएमएफसी गोहद जिला भिण्ड के समक्ष लंबित दाण्डिक प्र0क्र0 12/02 राज्य बनाम बंटी में शपथ पर सत्य कथन देने के लिए आबद्ध होते हुए साशय न्यायालयीन कार्यवाही में मिथ्या कथन देकर मिथ्या साक्ष्य दी।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि न्यायालय श्री आर0पी0 सोनकर, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड के समक्ष न्यायालय में दाण्डिक प्र0क्र0 12/02 थाना मौ विरुद्ध बंटी उर्फ अरुण कुमार के नाम से लंबित था। उक्त प्रकरण में दिनांक 16.07.2004 को अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष कथन में अभियोजन का समर्थन किया और कट्टा व कारतूस उपलब्ध न होने के कारण उसका प्रतिपरीक्षण स्थगित किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 08.10.07 को कट्टा व कारतूस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर साक्षी द्वारा अपने कथन में अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया एवं न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछने पर मुख्य परीक्षण में दिया गया कथन मिथ्या रूप से देना स्वीकार किया एवं कागजों पर हस्ताक्षर रघुवंशी सहाब के कहने पर करना बताया। शपथ पूर्वक कथन किया कि उसने न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण में गलत बयान दिया है और उसे यह जानकारी है कि झूठा बयान देना अपराध है। ऐसा होने के बावजूद अभियुक्त द्वारा शपथ पर जान बूझकर सत्य कथन करने के लिए आबद्ध होने पर भी मिथ्या कथन किया, जिसके आधार पर उक्त प्रकरण के निर्णय दिनांक 24.10.07 के माध्यम से अभियुक्त के विरुद्ध शपथ पूर्वक मिथ्या कथन किए जाने का आधार पाते हुए संज्ञान लिया गया। तत्पश्चात् परिवाद पत्र तैयार कर श्रीमान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भिण्ड को प्रेषित किया। जिसके आधार पर कार्यवाही की गयी।

3. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द०प्र०स० की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा रंजिशन झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 16.07.2004 तथा दिनांक 08.10.07 को श्री आर०पी० सोनकर जेएमएफसी गोहद जिला भिण्ड के समक्ष लंबित दाण्डिक प्र०क्र० 12/02 राज्य बनाम बंटी में शपथ पर सत्य कथन देने के लिए आबद्ध होते हुए साशय न्यायालयीन कार्यवाही में मिथ्या कथन देकर मिथ्या साक्ष्य दी ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में रामहेत तिवारी अ०सा० 1 एवं नरेन्द्रसिंह अ०सा० 2 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

6. नरेन्द्रसिंह अ० सा० 2 यह कथन करते हैं कि दिनांक 24.10.07 को वे न्यायालय श्री आर०पी० सोनकर के साक्ष्य लेखक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को न्यायालय में अभियुक्त बंटी उर्फ अरुण परिहार निवासी देहगांव के विरुद्ध दिनांक 07.01.2002 से धारा 25/27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण संचालित था। उक्त प्रकरण में उदयभान अ०सा० 1 (अभियुक्त) के दि० 16.07.04 को न्यायालय में कथन प्रस्तुत किया जाकर घटना का समर्थन किया था एवं कट्टा व कारतूस न होने के कारण प्रतिपरीक्षण स्थगित कर दिया गया था। दिनांक 08.10.07 को कट्टा व कारतूस न्यायालय में पेश किए जाने पर साक्षी का पुनः परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया था। न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्न के दौरान उसने मुख्य परीक्षण में दिए गए कथन को मिथ्या होना स्वीकार किया था और यह भी स्वीकार किया कि उसने रघुवंशी सहाब के कहने से कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तथा पुलिस के कहने पर फर्जी हस्ताक्षर किए हैं। उसके द्वारा यह भी कहा गया कि मुख्य परीक्षण में जो बयान दिया गया वह गलत था एवं किसी व्यक्ति के विरुद्ध झूठ बोलना अपराध है। किन्तु उक्त बात की जानकारी होने पर भी न्यायालय में झूठा कथन दिया गया था। साक्षी का उक्त कथन प्र०पी० 6 बताकर उस पर ए से ए भाग पर श्री सोनकर सहाब एवं बी से बी भाग पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने का कथन किया है।

7. रामहेत तिवारी अ०सा० 1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया कि दि० 16.07.02004 एवं 08.10.2007 को वे न्यायालय श्री आर०पी० सोनकर, तत्कालीन जेएमएफसी गोहद के न्यायालय में आरक्षक कोर्ट मौहर्रिर के रूप में कार्यरत थे। न्यायालय के प्र०क्र० 12/02 में दि० 16.07.2004 को अभियुक्त द्वारा बंटी उर्फ अरुण से देहगांव बस स्टैंड तिराहे पर कट्टा व कारतूस जब्त होना बताए थे और जब्ती पत्रक प्र०पी० 1 व 2 पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होने का कथन किया था किन्तु तत्पश्चात् दिनांक 08.10.07 को साक्षी द्वारा कथन किया कि दरोगा रघुवंशी के कहने पर उसने

कागजों पर हस्ताक्षर किए थे। न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर यह कथन किया कि 16.07.04 को मुख्य परीक्षण के पैरा नं० 1 में गलत कथन दिया था और यह भी स्वीकार करता है कि न्यायालय में झूठा कथन करना अपराध है फिर भी उसने झूठा कथन किया। न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण के अभियुक्त बंटी उर्फ अरूण को निर्णय दिनांक 24.10.07 को दोषमुक्त किया था और अभियुक्त उदयभान के विरुद्ध शपथ पर झूठी साक्ष्य देने का परिवाद पेश किया था। इस प्रकार से साक्षी के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में नरेन्द्र अ०सा० 2 के कथनों की अभिपुष्टि की गयी है।

8. प्रकरण में प्र०पी० 6 के कथन की प्रमाणित प्रति संलग्न है जिसमें ए से ए भाग पर श्री आर०पी० सोनकर, तत्कालीन जेएमएफसी एवं बी से बी भाग पर अभियुक्त उदयभान के हस्ताक्षरों को नरेन्द्रसिंह अ०सा० 2 द्वारा बताया गया है। अभियुक्त उदयभान द्वारा अपने परीक्षण में प्र०पी० 6 के कथन पर हस्ताक्षरों के संबंध में पता न होने का कथन किया है न कि हस्ताक्षरों को चुनौती दी गयी है। नरेन्द्रसिंह अ०सा० 2 द्वारा किया गया कथन श्री आर०पी० सोनकर तत्कालीन जेएमएफसी गोहद के हस्ताक्षर के संबंध में पदीय कर्तव्य के निर्वहन में निष्पादन किए जाने से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 47 के अधीन हस्ताक्षरों को पहचानने वाले साक्षी के रूप में पूर्णतः सुसंगत और प्रमाणित है। प्रकरण में दाण्डिक प्रकरण 12/2002 में पारित निर्णय दिनांक 24.10.07 की प्रमाणित प्रति प्र०पी० 5 को भी नरेन्द्र अ०सा० 2 द्वारा ए से ए भाग पर श्री आर०पी० सोनकर जेएमएफसी गोहद के हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद प्र०पी० 3 एवं साक्ष्य सूची प्र०पी० 4 पर श्री सोनकर, जेएमएफसी द्वारा ए से ए भाग पर हस्ताक्षर कर उनके निर्देश के अधीन टंकित किए जाने का कथन किया है जिस पर अविश्वास का कोई आधार अभिलेख पर नहीं है। इस प्रकार से अभियोगी पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिसाक्ष्य एवं प्र०पी० 6 के कथन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा दाण्डिक प्रकरण 12/02 में दिनांक 16.07.04 को शपथ पूर्वक सत्य कथन करने हेतु आबद्ध होते हुए मिथ्या कथन किया गया।

9. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह बचाव लिया गया है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। किन्तु प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य अभियुक्त के पक्ष में नहीं है जिसमें उसके निर्दोष होने के संबंध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध हो। प्रकरण में प्रतिपरीक्षण में दर्शित तथ्य औपचारिक प्रकृति के हैं जिनके आधार पर अभियोजन का मामला संदिग्ध नहीं होता है। इस प्रकार से अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 191 में उपबंधित आरोप कि उसने दिनांक 16.07.2004 तथा दिनांक 08.10.07 को श्री आर०पी० सोनकर जेएमएफसी गोहद जिला भिण्ड के समक्ष लंबित दाण्डिक प्र०क्र० 12/02 राज्य बनाम बंटी में शपथ पर सत्य कथन देने के लिए आबद्ध होते हुए साशय न्यायालयीन कार्यवाही में मिथ्या कथन देकर मिथ्या साक्ष्य दी। संहिता की धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देने के संबंध में अपराध

को परिभाषित करती है जिसके संबंध में दण्ड संहिता की धारा 193 में उपबंधित है। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 191 सहपठित धारा 193 के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है।

10. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उसे अभिरक्षा में लिया गया।
11. अभियुक्त के स्वेच्छिक अपराध को देखते हुए एवं उनकी परिपक्व आयु को देखते हुए एवं न्यायिक प्रशासन को प्रभावित करने वाले अपराध जो कि न केवल व्यक्ति विशेष बल्कि न्यायालय से जुड़े व उसके संबंधित व्यक्तियों के प्रति न्याय प्रशासन की आस्था को प्रभावित करने के गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। हाल ही में न्यायालय के समक्ष असत्य कथन करने की प्रवृत्ति में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोत्तरी हुई है जो कि निंदनीय व दण्डनीय है ऐसी दशा में अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त व उनके विद्वान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

पुनश्च:

12. अभियुक्त एवं उनके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्त की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए उसकी आयु लगभग 60 वर्ष होने का कथन कर प्रकरण के दस वर्ष से लंबित होने के आधार पर कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।
13. अभियुक्त के संबंध में विचारण करीब दस वर्षों से लंबित है। यद्यपि अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं, किन्तु अभियुक्त का अपराध दाण्डिक न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाला गंभीर प्रकृति का अपराध है। चूंकि अभियुक्त की आयु 55 वर्ष से अधिक होना स्वयं परिवाद पत्र से दर्शित हो रहा है और प्रकरण के लंबे समय से विचाराधीन होने का तथ्य भी ध्यान में रखे जाने योग्य है। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 191 सहपठित धारा 193 के अधीन एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। जिसके संदाय में व्यतिक्रम की दशा में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावे।
14. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति कोई नहीं।
15. निर्णय की एक प्रति अविलंब अभियुक्त को प्रदान की जावे।

16. अभियुक्त की निरोधावधि यदि कोई हो, तो उसके संबंध में धारा 428 दप्रसं० का प्रमाणपत्र बनाया जावे एवं दी गयी सजा से मुजरा की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश